प्रकरण क्र. 31/अ-27/13-14

बटवारा

राजस्व आदेश पत्र

तहसील हुजूर के न्यायालय में मामला क्रमांक 31/अ-27/2013-2014

विषय – बटवारा प्रकरण की श्रेणी.........अ-27......ग्राम – समरधा कलियासोत बन्दोबस्त कमांक...पटवारी हल्का क्र. 26 तहसील हुजूर कलेक्टर का क्रमांक.........अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक.........तहसीलदार का क्रमांक...

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन–पत्र अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक है अथवा वकीलों के पालन आदेशों के पालक करदाकरलिपिक के हस्ताक्षर और प्रक तारीख
15.04.2014	आवेदक जसवन्त सिंह, उमरावसिंह पुत्रगण श्री महेन्द्र सिंह जी निवासीगण ई–2/211 अरेरा कालोनी भोपाल निवासीग्राम समरधा कलियासोत तहसील हुजूर भोपाल ने धारा 178 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया कि ग्राम समरधा कलियासोत प.ह.नं. 26 के खसरा कमांक 297 रकबा 2.050 हेक्टेयर एवं 298/1 रकबा 1.094 हेक्टैयर कुल किता दो कुल रकबा 3.144 हेक्टेयर आवेदकगण के नाम संयुक्त खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के आवेदकगण बराबर हिस्से के स्वत्व धारा आधिप्रत्यधारी है। उक्त वर्णित भमि आवेदक एवं सहखातेदार का बरावर का हिस्सा है। उक्त भूमि हिस्सा अनुसार आपसी बटवारा कर दिये जाने का निवेदन किया। आवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि खसरा नकल इश्तहार हेतु निर्धारित शुल्क का तलनवाना पेश किया। 1– प्रकरण पंजीबद्ध किया जाय। 3– इश्तहार जारी होकर आपत्ति आमंत्रित की जावे। 4– पटवारी से बस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय मौका कब्जा एवं हिस्सा अनुसार फर्द बटवारा एवं बटांकन तैयार कर पेश करें। 5– अनावेदकगण को नोटिस जारी हो पे0दि0 02.06.2014 तहसीलदार तहसील हुजूर तहसील ★ हुजूर भोपाल	सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
2.6.2014	प्रकरण पेश। – आवेदकगण उपस्थित। – इश्तहार बाद तामील रिपोर्ट प्राप्त। संलग्न प्रकरण किया गया। – हल्का पटवारी से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन एवं मौका कब्जा अनुसार प्रविष्टाक तैयार कर पेश पेश नहीं हुआ – आवेदकगण पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द पर अपनी सहमति आपत्ति पेश करे। CF - 26.6.2014 तहसीलदार तहसील ★ हुजूर	

CANCELLED CANCELLED CANCELLED

Scanned with CamScanner

26.6.2014. प्रकरण पेश।
- आवेदकगण उपस्थित।
- आवेदकगण स्वयं ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आवेदकगण [illegible] के कथन दर्ज होकर पर सहमति व्यक्त की गई।
- समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं।
- प्रकरण ~~[illegible]~~ पटवारी द्वारा फर्द बयान प्रस्तुत करने हेतु लेख किया जाये।
पे.- 07.07.2014

तहसीलदार
तहसील ★ हुजूर

07.07.14 प्रकरण पेश।
- आवेदकगण उपस्थित।
- ~~[illegible]~~ हल्का पटवारी ने मौका, कब्जा, हिस्सा अनुसार फर्द बटवारा एवं फर्द बंटाकन मय पंचनामा के पेश किया।
- आवेदकगण ~~ने~~ पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द पर सहमति व्यक्त की गई, सहमति के हस्ताक्षर किये गये।
- प्रकरण आदेशार्थ।
पे. 17.7.2014

तहसीलदार
तहसील ★ हुजूर

कार्यालय तहसीलदार तह. हुजूर भोपाल
क्रमांक 3425/...
सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
प्रतिलिपिकार
तहसील हुजूर भोपाल

Scanned with CamScanner

रेव्हेन्यू आर्डर शीट (अनुवृत्ति पत्र)

प्र.क्र. 31/अ-27/2013-14

.014 प्रकरण पेश ।

— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक जसवन्त सिंह , उमरावसिंह पुत्रगण श्री महेन्द्र सिंह जी निवासीगण ई–2/211 अरेरा कालोनी भोपाल निवासीग्राम समरधा कलियासोत तहसील हुजूर भोपाल ने धारा 178 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया कि ग्राम समरधा कलियासोत प.ह.नं. 26 के खसरा कमांक 297 रकबा 2.050 हेक्टेयर एवं 298/1 रकबा 1.094 हेक्टैयर कुल किता दो कुल रकबा 3.144 हैक्टैयर आवेदकगण के नाम संयुक्त खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज है । उक्त भूमि के आवेदकगण बराबर हिस्से के स्वत्व धारा आधिपत्यधारी है । उक्त वर्णित भमि आवेदक एवं सहखातेदार का बरावर का हिस्सा है । उक्त भूमि हिस्सा अनुसार आपसी बटवारा कर दिये जाने का निवेदन किया । आवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि खसरा नकल इश्तहार हेतु निर्धारित शुल्क का तलनवाना पेश किया।

— आवेदक के आवेदन के आधार पर प्रकरण कायम कर इश्तहार आपत्ति आमंत्रित की गई । किन्तु नियत समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई ।

— हल्का पटवारी से बस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मय फर्दबटवारा एवं फर्द बटांकन लिये गये । हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम समरधा कलियासोत प.ह.नं. 26 के सर्वे कमांक 297 रकबा 2.050 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 298/1 रकबा 0.806 हेक्टेयर आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है । उक्त सर्वे नम्बरों का हिस्से अनुसार आवेदकगणों की सहमति से प्रस्तावित फर्द बटवारा एवं प्रस्तावित अक्स न्क्शा बटांकन तैया किया गया जो प्रकरण में संलग्न है ।

— आवेदकगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारे पर अपनी सहमति व्यक्त की गई । 703 5/8/14

अतः मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अन्तर्गत हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्दबटवारा एवं बटांकन स्वीकृत किये जाते है । स्वीकृत फर्द बटवारा एवं बटांकन प्रकरण का अंग होगा । आवेदकगण निर्धारित बटवारा शुल्क रूपये 25/– जमा करें । हल्का पटवारी आदेशानुसार रिकार्ड दुरूस्त करें । वाद म्याद प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

कार्यालय तहसीलदार तह. हुजूर भोपाल
क्रमांक 3495/14
सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
प्रतिलिपिकार
तहसील हुजूर भोपाल

CANCELLED
भारत INDIA
दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY